

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की शिकायत में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी उत्तिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 601 दिनांक 12/03/2019

प्राचीन श्री नरेन्द्र कुमार देवानी व श्री जयनिरान देवानी, मुख्यालय सं- उचने
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 - चौपासनी हाइसिंग बोर्ड, जोधपुर
धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय
भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
कर स्थानिकीय शांति रूप से R. 10,930/- जमा
जमिये रसीद संख्या CP No. 1021/5165, 5166
दिनांक 12/03/2019 को जमा करा दी है ।

J. S. D.
प्रारूपकार
नगर निगम, जोधपुर

जी-1
आवासीय

Received
[Signature]
29/03/19